न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 182/2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/380

निर्णय दिनांक: 24.3.2025

1. हंसराज पुत्र सोहनलाल
2. मन्जू पत्नि स्व. कमलकिशोर
3. राजेश पुत्र कमलकिशोर
4. रश्मी पुत्री कमलकिशोर

जति झंवर निवासीगण श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम राधेश्याम तापड़िया पुत्र स्व. मेघराज तापड़िया जाति तापड़िया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राहुल पुत्र कमलकिशोर जाति झंवर निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल परिचय चौथा फलोर, 10, सुहासिनी गांगुली सारनी, हरीश पार्क के पास, भवानीपोर, सर्कस ऐवेन्यू, कोलकता, पश्चिम बंगाल।
3. खुशबू पुत्री कमलकिशोर जाति झंवर निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल फलेट नम्बर ओसी 1005, ऑलिव टॉवर, शपुरजी पलोंजी पार्कवेस्ट नम्बर 1/1, होसाकेरे रोड़ बिन्नीपेट, बैंगलोर, कर्नाटक।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं यह हैं कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 845 क्षेत्रफल 2.2400 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 व गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक का 1/10—1/10 हिस्सा स्थित है प्रार्थीगण ने वादगत खेत में स्थित अपने हिस्सा की भूमि बाबत् अपने विश्वस्त श्री राधेश्याम तापड़िया पुत्र स्व. मेघराज तापड़िया जाति तापड़िया निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त कर रखा हैं जिन्हें वादगत खेत व अनवानी प्रकरण के सभी तथ्यों की जानकारी है वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 845 के पूर्व में खसरा नम्बर 494 थे जिसके खातेदारों के द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करने पर वादगत खसरा नम्बर 494 के खातेदार डालूराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:30 IST
Reason: SelfAttested

मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी श्रीडूंगरगढ़ के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बर 538/494 तादादी 8 बिघा 17 बिस्वां कायम हुए तथा डालूराम के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 538/494 को मुल खसरा नम्बर 494 के राजस्व नक्सा अक्स में खेत के उतरी–पूर्वी दिशा में तरमीम किया गया । प्रार्थी संख्या 1 हंसराज व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 व गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 के पति/पिता स्व. कमलकिशोर ने वादगत खसरा नम्बर पुराना 538/494 तादादी 8 बिघा 17 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 28.06.1995 के द्वारा पूर्व खातेदार डालूराम से खरीद किया था। वादगत खेत खसरा की भूमि खरीद करते विक्रय पत्र में मौका अनुसार आसा पासा दर्ज किये गये थे एवं उसी अनुसार खरीददार को भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया था। वादगत खसरा की खरीदशुदा भूमि पूर्व खसरा नम्बर 494 के उतरी–पूर्वी दिशा में स्थित हैं एवं इसी अनुसार वर्तमान में भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 845 को वर्तमान राजस्व नक्सा अक्स में विक्रय पत्र एवं मौका अनुसार उतरी–पूर्वी दिशा में तरमीम नही करके गलत तरमीम किया हुआ हैं। प्रार्थीगण वादगत खेत की भूमि को मुल खसरा नम्बर 494 के उतरी पूर्वी दिशा में विक्रय पत्र में अंकित आसे पासे अनुसार राजस्व नक्शा अक्स मे तरमीम करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है । प्रार्थीगण ने वादगत खेत के राजस्व नक्शा अक्स की नकल निकलवायी तब मौका, विक्रय पत्र एवं पुराने राजस्व रिकार्ड के विपरीत नक्शा अक्स तरमीम होने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से विक्रय पत्र अनुसार राजस्व नक्शा अक्स दुरूस्त करने हेतू निवेदन किया परन्तू अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 वादगत खेत के संयुक्त खातेदार होने से गौण अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये गये है । गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थीगण कस्बां श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासीगण हैं एवं वादगत खेत कस्बां श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं । इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फिस पर अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वागदत खेत खसरा नम्बर 845 तादादी 2.2400 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व नक्शा अक्स को मौका पर कब्जा काश्त व विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1995 के अनुसार वादगत खेत के पुराना खसरा नम्बर 494 के उतरी पूर्वी दिशा में तरमीम करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 845 तादादी 2.2400 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व नक्शा अक्स को मौका पर कब्जा काश्त व विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1995 के अनुसार वादगत खेत के पुराना खसरा नम्बर 494 के उत्तरी पूर्वी दिशा में तरमीम करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 24.3.2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:04:30 IST
Reason: SelfAttested